

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 05.09.2022

ओला ड्राइवर से पैसे व मोबाइल की लूट कारित करने वाले गिरोह का एक शातिर लुटेरा गिरफ्तार, घटना से संबंधित 03 अभियुक्तों को पूर्व में किया जा चुका है गिरफ्तार (थाना हथिगवां)।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के निर्देशन में जनपद में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने / अपराध की रोकथाम व अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.09.2022 को थाना हथिगवां के उ0नि0 श्री रमिल कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 167/2022 धारा 394, 411 भादवि में वांछित अभियुक्त नीरज यादव उर्फ साचा पुत्र अवधेश बहादुर सिंह निवासी कटरा बिहरिया थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

नीरज यादव उर्फ साचा पुत्र अवधेश बहादुर सिंह निवासी कटरा बिहरिया थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी.

1. लूट के 160/- रुपये
2. एक अदद मोबाइल फोन

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया गया कि मैं व मेरे तीन अन्य साथी हिमांशु यादव, अनूप यादव व ननका यादव उर्फ राम सिंह मिलकर मोटर साइकिल से घूम-घूमकर सूनासान जगहों पर आने-जाने वाले राहगीरों से लूटपाट करते हैं एवं बड़े शहरों से ओला बुक करके लाते हैं व सूनासान जगह पर पैसा, मोबाइल फोन आदि लूट लेते हैं। दिनांक 23.08.2022 को हम लोग प्रयागराज से ओला टैक्सी बुक करके आए थे और बरना रेलवे क्रॉसिंग से आगे मजार के पास ओला ड्राइवर से पैसे व मोबाइल की लूट की थी। (इस संबंध में थाना हथिगवां पर मु0अ0सं0 167/2022 धारा 394 भादवि का अभियोग पंजीकृत है।) मैंने तीनों साथियों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है, इसीलिए मैं कहीं बाहर भागने की फिराक में था कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री रमिल कुमार मय हमराह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

40 लीटर अवैध कच्ची देसी शराब के साथ 02 व्यक्ति गिरफ्तार (थाना जेठवारा)

जनपद के थाना जेठवारा के उ0नि0 श्री शेषनाथ सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के मझवारा तिराहा के पास से दो व्यक्तियों 01. राजेन्द्र सरोज पुत्र रामआधार सरोज 02. मनीष सरोज पुत्र

धीरज सरोज निवासीगण मझवारा थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ को 20-20 लीटर अवैध कच्ची देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना जेठवारा में क्रमशः मु0अ0सं0 239/2022 व 240/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

20 लीटर अवैध कच्ची देसी शराब के साथ 02 व्यक्ति गिरफ्तार (थाना देल्हूपुर)

जनपद के थाना देल्हूपुर के उ0नि0 श्री शिव प्रसाद रावत मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के गजेहड़ा पुल के पास टिकुरिया से दो व्यक्तियों 01. राजेश कुमार गौतम पुत्र मुरली गौतम निवासी गुलरा थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ 02. राहुल गौतम पुत्र भागीरथ गौतम निवासी शक्ति कसेरूआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को 10-10 लीटर अवैध कच्ची देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना देल्हूपुर में क्रमशः मु0अ0सं0 24/2022 व 25/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।